न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 45/2010
गिर्राज पुत्र श्योसिंह जाति गुर्जर निवासी भोपर शाहपुर तहसील महवा
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा
...रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व आदेश तहसीलदार महवा दिनांक 6.9.2010 जो उनवानी सरकार बनाम गिर्राज मुकदमा सं0 96/2010 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 12.7.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा ने दिनाक 06.09.2010 को ग्राम जगरामपुरा तहसील महवा के आ0ख0न0 109, 110, 90 कुल किता 3 रकबा 0.90है. किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति एवं 30 दिवस के सिविल कारावास का निर्णय पारित कर दिया गया। इसी निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का ने निहायती झूंठे तथ्यों के आधार पर वाके ग्राम जगरामपुरा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 109 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 110 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 90 रकबा 0.50है. कुल किता 3 रकबा 0.90है. के बाबत अपीलांट के खिलाफ तहसीलदार महवा के यहॉं अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की जिस पर तहसीलदार महवा ने अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं व बिना कोई जांच किये व बिना पटवारी हल्का से जिरस का मौका दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना व अपीलांट का पुनः अतिचार सिद्ध हुए बिना कानून के विपरीत तरीके से दिनांक 6.9.2010 को अपीलांट के खिलाफ बेदखली, पैनल्टी व एक माह के सिविल कारावास से दंड से दंडित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट के खिलाफ पटवारी हल्का द्वारा झूंठी रिपोर्ट पेश की गई है। यदि अपीलांट का किसी भी राजकीय चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जावे तो अपीलांट उस भूमि को छोडने को तैयार है। कानूनन सजा जैसा आदेश जब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक की अपीलांट के खिलाफ पूर्व बेदखली सिद्ध न हो। पत्रावली में पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं हुआ ना ही कोई रिपोर्ट पेश हुआ, बिना रिपोर्ट साबित हुए रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। निर्णय अपीलांट के पीठ पीछे बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा का अपीलाधीन निणर्य दिनांक 06.09.2010 पर पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:59:58 IST
Reason: SelfAttested

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का गाजीपुर द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई थी। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से उसका पुत्र रामहरि अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2067 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 109 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 110 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 90 रकबा 0.50है. कुल किता 3 रकबा 0.90है. पर जोत लगाकर कब्जा किया जाना अंकित है। अपीलांट राजकीय चरागाह भूमि पर बार–2 अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 भू राजस्व अधिनियम पटवारी हल्का गाजीपुर द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का पुत्र नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलांट का यह कथन सरासर असत्य है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि खसरा नंबर 109 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 110 रकबा 0.20है. खसरा नंबर 90 रकबा 0.50है. कुल किता 3 रकबा 0.90है. पर जोत लगाकर अतिक्रमण करना बताया है। पटवारी की रिपोर्ट में अपीलांट को संवत 2066 में भी अतिक्रमण करने पर अपीलांट की बेदखली किया जाना अवगत होता है। अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बार–2 अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जोत लगाने पर तहसीलदार महवा द्वारा अपीलांट को 30 दिवस के सिविल कारावास से दंडित किया गया है। हम अपीलांट के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को रिमांड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.09.2010 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार महवा को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए भूमि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:59:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12 जुलाई 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में दिया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा